राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप-10) विभाग

जयपुर, दिसम्बर 31, 1980

प्रेषिति:-

समस्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश,

राजस्थान।

विषय:- **अधीनस्थ न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों में शीघ्र निस्तारण हेतु जिला स्तर पर उच्च स्तरीय मोनीटरिंग समितियों की सम्पन्न बैठकों की कार्यवाही का विवरण भिजवाने बाबत।**

संदर्भ :-**रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक-सामान्य /15/28/76/8691 दिनांक 25-10-79**

महोदय,

संख्या प.10(5) गृह-10/80:- उपरोक्त विषय में लेख है कि जिला स्तर पर गठित उच्च स्तरीय मोनीटरिंग समिति की बैठकें प्रत्येक तीन माह में आयोजित कर, सम्पन्न बैठकों के कार्यवाही विवरण की एक प्रतिलिपि इस विभाग को उपलब्ध कराये जाने के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा आपको निर्देश प्रदान किये गये थे, परन्तु इस विभाग में वर्ष 1980 में कुछ जिलों से ही कार्यवाही विवरण प्राप्त हुए हैं जो कि नहीं के बराबर हैं क्योंकि प्राप्त कार्यवाही विवरणों को देखने से यह भी ज्ञात होता है कि उक्त बैठकें समय समय पर आयोजित नहीं की गई हैं।

अत: आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार की इच्छानुसार प्रत्येक तिमाही में बैठक आयोजित करने एवं बैठकों के कार्यवाही विवरण की एक प्रतिलिपि इस विभाग को भी यथा शीघ्र उपलब्ध करवाने के मुख्य न्यायिक दण्डनायक को उचित आदेश प्रदान करें ताकि अभियोजन विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर भी उचित निर्णय लिया जा सके। आपके द्वारा दिये गये निर्देशों से इस विभाग को भी कृपया अवगत करावें।

(बी.एल. मान्धना)

संयुक्त विधि परामर्शी (गृह)

एवं पदेन निदेशक, अभियोजन

राजस्थान, जयपुर।

—●—